

4879

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य 30 प्र0 अपट्रॉन इण्डिया लि0 के सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन (118)/2024-25/ / राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को छोड़कर)।  
विषय:- अपट्रॉन कर्मियों के समायोजन के संबंध में।

कृपया प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1089/78-1-2024-1099/33/2024 दिनांक-08-11-2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आमेलित अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड के कर्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के संबंध में बिन्दुवार स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन के उक्त पत्र दिनांक-08.11.2024 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक:-विभागीय वेबसाईड पर अपलोड।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 04

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर जोन, नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दिनांक-08.11.2024 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- संयुक्त आयुक्त (स्थापना राजपत्रित/आई0टी0/संग्रह), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- सहायक आयुक्त, राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- पटल प्रभारी, स्था0-5 क, 5 ग, 4 क, 4 ख, 4 ग, 4 घ, 3 क एवं 3 ख(स्थापना अराजपत्रित), राज्य कर मुख्यालय।

संलग्नक:-विभागीय वेबसाईड पर अपलोड।

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 012

45/2024/

संख्या:-1089/78-1-2024-1099/33/2024

1089/PS/ST/24  
VS (SP)

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-कार्यालय सम्पक,  
सम्बद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

91/दि/24  
प्रमुख सचिव  
राज्य कर विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ-दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

विषय:- अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-1478/78-1-2011-51इले०/92टीसी-5, दिनांक 20-12-2011 (छयाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कर्मियों का आमेलन विभिन्न सरकारी विभागों में " उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" के अन्तर्गत किया गया है। दिनांक 01-04-2005 से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। अपट्रान कर्मियों जब-तक उनका आमेलन सरकारी विभाग में नहीं हुआ तब-तक वे अपट्रान के ही कार्मिक रहें। अपट्रान की सेवाएं पेंशनेबल नहीं थी। अतः उक्त आमेलित अपट्रान इण्डिया लि० के कर्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निम्नानुसार विन्दुओं को स्पष्ट किया जाता है:-

- (1) अपट्रान इण्डिया लि० के पूर्व कर्मियों, जिनका आमेलन/समायोजन सरकारी विभागों में हुआ है, की शासकीय सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रान इण्डिया लि० की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन के लाभ स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था से इतर कोई नियमावली यदि किसी विभाग द्वारा निर्गत की गयी है तो ऐसी नियमावली शासनादेशों के प्रतिकूल है तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। सरकारी सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ अपट्रान के नियमों के अनुसार देय होंगे।
- (3) अपट्रान कर्मियों द्वारा शासकीय सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की अनुमन्य ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ देय होगा।

DS (PS)  
11/11/24  
प्रमुख सचिव  
(रघुवीर प्रसाद)  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

50-3  
11/11/24  
(विमल प्रकाश सिंह)  
उप सचिव,  
राज्य कर विभाग,  
उ० प्र० शासन।

11/11/24

45/2024/

संख्या:-1089/78-1-2024-1099/33/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

1089/PS/ST/24  
US (SP)

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
2-कार्यालय सम्पादक,  
सम्बद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

91/11/11/24  
प्रमुख सचिव  
राज्य कर विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

तखनऊ:दिनांक: 08 नवम्बर, 2024

विषय:- अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-1478/78-1-2011-51इले०/92टीसी-5, दिनांक 20-12-2011 (छयाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कार्मिकों का आमेलन विभिन्न सरकारी विभागों में " उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" के अन्तर्गत किया गया है। दिनांक 01-04-2005 से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। अपट्रान कर्मी जब-तक उनका आमेलन सरकारी विभाग में नहीं हुआ तब-तक वे अपट्रान के ही कार्मिक रहें। अपट्रान की सेवाएं पेंशनेबल नहीं थी। अतः उक्त आमेलित अपट्रान इण्डिया लि० के कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में निम्नानुसार विन्दुओं को स्पष्ट किया जाता है:-

- (1) अपट्रान इण्डिया लि० के पूर्व कार्मिकों, जिनका आमेलन/समायोजन सरकारी विभागों में हुआ है, की शासकीय सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रान इण्डिया लि० की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन के लाभ स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था से इतर कोई नियमावली यदि किसी विभाग द्वारा निर्गत की गयी है तो ऐसी नियमावली शासनादेशों के प्रतिकूल है तथा उसमें संशोधन की आवश्यकता है।
- (2) सरकारी सेवा में आमेलन के पूर्व की अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ अपट्रान के नियमों के अनुसार देय होंगे।
- (3) अपट्रान कार्मिकों द्वारा शासकीय सेवा में आमेलन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की अनुमन्य ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण का लाभ देय होगा।

DS(PS)

22/11/2024  
(रघुवीर प्रसाद)  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन।

50-3

रघुवीर सिंह  
उप सचिव,  
राज्य कर विभाग,  
उ० प्र० शासन।

22/11/24

(4) अपट्रॉन कार्मिकों द्वारा शासकीय सेवा में आमेहन के बाद जिस तिथि से सरकारी सेवा की गयी है उस तिथि से सरकारी सेवा की देयता राज्य सरकार की होगी। शासकीय सेवा में आमेहन से पूर्व अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड की सेवाओं के देयको के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार का नहीं है।

3- अतः अनुरोध है कि विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा में आमेहित अपट्रॉन कार्मियों के सेवानिवृत्तिक लाभों को दिये जाने के संबंध में कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by

Anil Kumar Sagar

Date: 07-11-2024 16:34:20

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।

पु०संख्या- 1089(1)/78-1-2024, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, 30प्र० शासन।
- 2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 3-निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र० शासन।
- 4-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिवगण,आई०टी० एवं इले० विभाग, 30प्र० शासन।
- 5-प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
- 6-गार्ड फाईल।

Signed by

Neha Jain

Date: 08-11-2024 15:12:35

आज्ञा से,

(नेहा जैन)

विशेष सचिव।

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र गुप्ता,  
विशेष सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उ.प्र. शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2011

विषय: अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में।

महोदय,


अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में की गयी थी। अपट्रान इण्डिया लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों यथा-टी0वी0 इण्टरकाम, टेलीफोन एक्सचेंज आदि के उत्पादन, बिक्री एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता था। वर्ष 1987-88 तक अपट्रान इण्डिया लिमिटेड लाभ की स्थिति में थी, किन्तु वित्तीय वर्ष 1988-89 से उक्त इकाई में हानि प्रारम्भ हो गयी। अन्ततोगत्वा दिनांक 20.06.1994 को अपट्रान को बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित कर दिया गया। कालान्तर में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की कन्सल्टेंसी डिवीजन को छोड़कर अन्य सभी इकाईयों को बन्द किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया। उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप सरप्लस हुए कार्मिकों को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/6/97-का-4-1998, दिनांक 11.11.1998 के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न विभागों/आयोगों आदि में संविदा अथवा बाडीशापिंग के आधार पर तैनात किया गया। सम्प्रति विभिन्न विभागों/आयोगों आदि में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्मिक कार्यरत हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप सम्प्रति सरकारी विभागों में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्यरत अपट्रान कार्मिकों को उन्हीं विभागों में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में "उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" संबंधी अधिसूचना संख्या 1477 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 संलग्न है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपट्रान कर्मियों के समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निम्न निर्णय लिये गए:-

(क) सम्प्रति सरकारी विभागों में संविदा/बाडीशापिंग के आधार पर कार्यरत अपट्रान कार्मिकों को उन्हीं विभागों में समायोजित किया जाये। उक्त निर्णय के अनुपालन में "उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 2011" संबंधी निर्गत अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 संलग्न है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित आमेलन नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 का प्रस्तर-2ई (ii) उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जो शासन के किसी भी विभाग के अधीन किसी सोसायटी,


कमश:..2...



प्राधिकरण अथवा किसी अन्य संस्था में कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी उसी विभाग में कार्यरत मानते हुए समायोजित करने के लिये संबंधित विभाग नियमावली को अपने यहाँ अंगीकृत (Adopt) कर लें।

3. कृपया उक्त निर्णयानुसार प्रस्तर-2 (क) के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रस्तर-2(ख) के संबंध में अपने अधीनस्थ सोसायटी, प्राधिकरण अथवा अन्य संबंधित संस्था को इस आशय के निर्देश भेजने का कष्ट करें कि वे उपर्युक्त संदर्भित आमेलन नियमावली, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 के प्रस्तर-2ई (ii) को अपने यहाँ अंगीकृत (Adopt) कर लें।


संलग्नक-यद्योक्त

भवदीय,  
  
(सुरेश चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव

संख्या-1478(1)/78-1-2011तददिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, विभाग, उ.प्र. शासन।
4. शासकीय विभागों के अधीन- समस्त निगम, सोसायटी, प्राधिकरण तथा संस्था को जहाँ अपट्रान कर्मी कार्यरत है, को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त निर्णयानुसार अपट्रान कर्मियों के समायोजन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, अपट्रान इण्डिया लि0/यू0पी0एल0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(सुरेश चन्द्र गुप्ता)  
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आई. टी. एवं इलेक्ट्रानियस विभाग (अनुभाग-1)  
संख्या-1477/78-1-2011-51इले0/92टीसी-5

लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन करने का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है:-

उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन,  
नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम 1.(1) यह नियमावली/सरप्लस उत्तर प्रदेश अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के  
प्रारम्भ और कर्मचारियों का सरकारी सेवा में सेवा में आमेलन, नियमावली, 2011 कही  
लागू होना जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदों पर लागू होगी।

परिभाषाये (2) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान है,

(ख) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) 'सेवा नियमावली' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाई गयी नियमावली से है और जहां ऐसी कोई नियमावली नहीं है वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हुए सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है,

(ङ.) 'सरप्लस कर्मचारी' का तात्पर्य अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारी (तदर्थ कैजुअल, वर्क चार्ज या संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी को छोड़कर) से है, जो-

(एक) अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के अंशतः या पूर्ण रूप से परिसमापन के परिणाम स्वरूप अपट्रान इण्डिया लिमिटेड से सरप्लस हो गया हो, और

(दो) शासनादेश दिनांक 01.06.1997-क-4-99/1998, दिनांक नवम्बर 11, 1998 के अनुसार किसी सरकारी विभाग में संविदा के आधार पर या बाडी शापिंग के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा हो।


आमेलन की प्रक्रिया 3 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत किसी पद या सेवा को छोड़कर अधिसूचित आदेश द्वारा के

कमश...2...

10/15

अधीन किसी पद या सेवा में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के सरप्लस कर्मचारियों के आमेलन की अपेक्षा कर सकती है और ऐसे सरप्लस कर्मचारियों के सम्बन्ध में शर्तों के विभिन्न निबंधनों और शर्तों में शिथिलता को सम्मिलित करते हुए आमेलन के लिए प्रक्रिया विहित कर सकती है।

- (2) सुसंगत सेवा नियमावली में दिये गये उपबंध, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचित आदेश में किये गये उपबंधों से अपनी असंगति की सीमा तक उपांतरित किये गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,  
  
(जीवेश नन्दन)  
सचिव।



IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor if pleased, to order the publication of the following, English translation of notification no 1477/78-1-2011-51Ele./92T.C-V dated 20 DECEMBER, 2011

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH I.T. AND ELECTRONICS  
DEPARTMENT (SECTION-1)

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 1477/78-1-2011-51Ele./92T.C-V

Lucknow: Dated : 20 DECEMBER, 2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the Governor is pleased to make the following rules to provide for the absorption in Government Service of the surplus employees of the Uptron India Limited:

THE UTTAR PRADESH ABSORPTION OF SURPLUS EMPLOYEES OF  
UPTRON INDIA LIMITED IN GOVERNMENT SERVICE RULES-  
2011

- Short title, Commencement and application      1- (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Absorption of Surplus Employees of Uptron India Limited in Government Service Rules, 2011
- Definition      (2) They shall come into force at once.  
(3) They shall apply to the posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.  
2- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;  
(a) 'Constitution' means the constitution of India;  
(b) 'Government' means the state Government of Uttar Pradesh;  
(c) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;  
(d) 'service rules' means the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution and where there are no such rules, the executive instructions issued by the Government regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed to the relevant service;  
(e) 'surplus employee' means an employee of the Uptron India Limited (other than an employee employed on ad hoc, casual, work-charged or contract basis) who-  
(i) has been rendered surplus from the Uptron India Limited as a result of winding up either in whole or in part of the Uptron India Limited, and  
(ii) is working on contract basis or body shopping basis or on deputation in a Government Department in accordance with Government order No.1/6/97-ka-4-99/1998, dated November 11,1998.
- Procedure for absorption      3- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules for the time being in force, the Government may, by notified order, require the absorption of surplus employees of Uptron India Limited in any post or service under the Government except a post or service which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and may prescribe the procedure for such absorption including relaxation in various terms and conditions of recruitment in respect of such surplus employees.

6-11-19-9  
...2...

- (2) The provisions contained in relevant service rules shall be deemed to have been modified to the extent of their inconsistency with the provisions made in the notified order referred to in sub-rule (1).

By order,



(JIWESH NANDAN)

Secretary